

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-II) विभाग

सं. एफ.7(3) डीओपी (ए- II)/2021

जयपुर, दिनांक 23.05.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022

भाग I

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

(क) "बोर्ड" से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "सीईटी" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची (अनुसूचियों) में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता विनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा संचालित समान पात्रता परीक्षा अभिप्रेत है;

(ग) "सीधी भर्ती" से भर्ती और सेवा की शर्तों को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई भर्ती अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "भर्ती एजेंसी" से बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकारी या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई एजेंसी अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और

(छ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये समस्त अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन्हें राजस्थान सेवा नियम, 1951, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें विनियमित करने वाले सेवा नियमों में समनुदेशित किया गया है।

3. निर्वचन.- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों के निर्वचन के लिए राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं.8), उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग-II

समान पात्रता परीक्षा

4. समान पात्रता परीक्षा की आवृत्ति.- (1) अनुसूची-I और अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार, बोर्ड द्वारा आयोजित की जायेगी। सीईटी का स्कोर परिणाम की तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

(2) बोर्ड, उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक, जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, प्रकाशित करेगा।

5. प्रयासों की संख्या.- सीईटी में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के पास सीईटी में उनके स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का, अनुसूची-I और अनुसूची-II में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा।

6. अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के लिए समान पात्रता परीक्षा.- अनुसूची-I और अनुसूची-II में उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि, वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किये जायें, प्राप्त करने में असफल रहता है। न्यूनतम अंक अवधारित करते समय, भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II

में उल्लिखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के पंद्रह गुना अभ्यर्थी, इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे किंतु, उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थी को जो वही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किये जायें, अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश दिया जायेगा:

परंतु यदि भर्ती एजेंसी की यह राय हो कि, अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो, भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिल मानक लागू किया जा सकेगा ताकि उस प्रवर्ग में के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो। इस प्रयोजन के लिए, रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के पंद्रह गुना की विचार की संख्या सीमा शिथिल मानी जायेगी। तथापि, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए, इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हित अभ्यर्थी, केवल उनके प्रवर्गों के लिए आरक्षित पदों पर चयन के लिए पात्र होंगे।

भाग-III

समान पात्रता परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया

7. आवेदन आमंत्रित करना.- बोर्ड, सीईटी में उपस्थित होने के लिए ऐसी रीति से जो बोर्ड उचित समझे, एक नोटिस प्रकाशित करके, आवेदन आमंत्रित करेगा।

8. नोटिस की विषय-वस्तु और उससे संबंधित अनुदेश.- (1) सीईटी में उपस्थित होने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित भी अंतर्विष्ट होगा:-

(i) प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख; और

(iii) परीक्षा में प्रवेश के लिए अपेक्षित अर्हता और अभ्यर्थियों द्वारा उनकी पात्रता स्थापित करने हेतु उठाये जाने वाले कदम।

(2) नोटिस के अतिरिक्त बोर्ड अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए पाठ्य विवरण सहित ऐसे अन्य अनुदेश जारी कर सकेगा।

9. आवेदन का प्ररूप.- सीईटी में उपस्थित होने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्ररूप में आवेदन किया जायेगा।

10. फीस.- (1) सीईटी में उपस्थित होने के लिए, कोई अभ्यर्थी बोर्ड को ऐसी फीस, जो समय-समय पर उसके द्वारा नियत की जाये, का ऐसी रीति से जो उसके द्वारा उपदर्शित की जाये, संदाय करेगा।

(2) फीस के प्रतिदाय के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा सिवाय तब जब कि बोर्ड द्वारा विज्ञापन किसी भी कारण से रद्द किया गया हो, जिस दशा में रकम का प्रतिदाय किया जायेगा:

परन्तु बोर्ड द्वारा प्रतिदाय के लिए नोटिस जारी होने की तारीख से एक मास की कालावधि के पश्चात् फीस के प्रतिदाय का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. समान पात्रता परीक्षा में प्रवेश.- (1) बोर्ड द्वारा प्राप्त आवेदन, जो अपूर्ण पाये जायें, उसके द्वारा अस्वीकार किए जायेंगे। सीईटी में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह अनुसूची-I या अनुसूची-II में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षिक अर्हताओं आदि, यदि कोई हों, के संबंध में शर्तें पूर्ण करता/करती है। समान पात्रता परीक्षा के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का पात्र नहीं बनायेगा।

(2) सीईटी में किसी अभ्यर्थी के प्रवेश के संबंध में बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) अनुसूची-I या अनुसूची-II में उल्लिखित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी। किसी अभ्यर्थी का सीईटी में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे अर्हित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी।

12. शैक्षिक अर्हता और आयु आदि.- (1) स्नातक स्तर की सीईटी में उपस्थित होने के लिए, शैक्षिक अर्हताएं, स्नातक होगी और सीनियर सैंकण्डरी स्तर की सीईटी में उपस्थित होने के लिए, शैक्षिक अर्हताएं, सीनियर सैंकण्डरी होगी।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II में उल्लिखित किसी पद पर भर्ती के लिए, शैक्षिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित है।

13. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.- कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या ऐसे कथन करने या प्रस्तुत करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या सीईटी में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने के प्रयास करने या सीईटी में प्रवेश पाने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी है या बोर्ड द्वारा इस प्रकार दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

14. समान पात्रता परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण.- (1) सीईटी बोर्ड द्वारा संचालित की जायेगी और लिखित परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण ऐसा होगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) बोर्ड, स्नातक स्तर और सीनियर सैकण्डरी स्तर के अभ्यर्थियों के लिए पृथक-पृथक सीईटी संचालित करेगा।

15. संयाचना.- किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में उसकी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे सीईटी में सम्मिलित होने से तथा राज्य के अधीन पद पर भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।

16. शंकाओं का निराकरण.- यदि इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

अनुसूची-I

(स्नातक स्तर के लिए सीईटी)

क्रम सं.	सेवा का नाम	पद का नाम
1.	राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा	प्लाटून कमांडर

2.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा	1. जिलेदार 2. पटवारी
3.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा	कनिष्ठ लेखाकार
4.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा	तहसील राजस्व लेखाकार
5.	राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा	पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता)
6.	राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा	पर्यवेक्षक
7.	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा	उप-जेलर
8.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड II

अनुसूची-II

(सीनियर सैकण्डरी स्तर के लिए सीईटी)

क्रम सं.	सेवा का नाम	पदों का नाम
1.	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा	वनपाल
2.	राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा	छात्रावास अधीक्षक
3.	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा	लिपिक ग्रेड II
4.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा	कनिष्ठ सहायक
5.	राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिकवर्गीय सेवा	लिपिक ग्रेड II
6.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा)	जमादार ग्रेड II
7.	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा	कांस्टेबल

राज्यपाल के आदेश और नाम से,


23/05/2022,

(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव

34/2022